न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क)/(ख) के अंतर्गत

परमिशन वाद सं0 49 वर्ष 2025–26

आवेदक– चुरामण महतो
ग्राम– फतेहपुर
थाना– चन्द्रपुरा जिला–बोकारो

क्रेता– कुन्ती देवी
ग्राम– फतेहपुर
थाना– चन्द्रपुरा जिला–बोकारो

आदेश की क्रम0सं0 तारीख 01	आदेश एंव पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ 03
14/8/25	(see below)	

आदेश

यह वाद **आवेदक–चुरामण महतो, पिता–स्व0 जानकी महतो, पता–ग्राम–फतेहपुर (कोरकोटा), पो0–नर्रा, थाना–चन्द्रपुरा, जिला–बोकारो** के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरणी निम्नवतः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट सं0	कुल रकबा	बिकी रकबा	भूमि दर्जा
फतेहपुर	**93**	**28**	**235**	**0.66 ए0**	**0.16 ए0**	**रैयती, धान–1, वर्तमान स्परूप परती**

को वे आवश्यक कार्य हेतु मो 1,40,000/–(एक लाख चालिस हजार) रूपये में **क्रेता–कुन्ती देवी, पति–स्व0 महेन्द्र महतो, पता–ग्राम–फतेहपुर, पो0–नर्रा, थाना–चन्द्रपुरा, जिला–बोकारो** के साथ बिकी करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 1193/रा0, दिनांक 03.06.2025 के माध्यम से अंचल अधिकारी चन्द्रपुरा से जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिकी अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी चन्द्रपुरा के पत्रांक–791, दिनांक–01.08.2025 से वांछित जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमे उनके द्वारा उल्लेख किया गया हैं कि:–

01. क्रेता एवं बिक्रेता जाति के कुर्मी (महतो) है। जो पिछड़ी जाति वर्ग के अतंर्गत आते हैं। बिक्रेता एंव क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जिला–बोकारो के निवासी हैं।
02. बिकी की जाने वाली भूमि का सर्वे खतियान में कलालोधर कुरमी वल्द पीरतराम कुरमी कौम–कुरमी शाकीन–देह के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख पंजी–II के पृष्ठ सं0–38, भौलुम सं0–I पर गुलाब महतो, जानकी महतो, अन्दु महतो के नाम से जमाबंदी कायम हैं एवं लगान रसीद वर्ष 2023–24 तक निर्गत हैं। जमाबंदी कायम होने का आधार खतियान हैं।
03. जमाबन्दीधारी रैयत से बिकेता–चुरामण महतो, पिता–स्व0 जानकी महतो का संबंध वंशावली के आधार पर पिता–पुत्र का है। बिकी की जाने वाली भूमि बिकेता के हक व हिस्से के अतंर्गत आता है एंव बिकेता का दखल कब्जा में हैं।
04. प्रस्तावित भूमि भू–हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि तथा अधिग्रहण क्षेत्र से बाहर हैं।

उनके द्वारा बिकेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया हैं।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिकेता द्वारा अपने बयान में बतलाया गया हैं कि आवेदनाकिंत जमीन सर्वे खतियान में कलालोधर कुरमी वल्द पीरतराम कुरमी कौम–कुरमी शाकीन–देह के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख पंजी–II के पृष्ठ

सं0–38, भौलुम सं0–I पर गुलाब महतो, जानकी महतो, अन्दु महतो के नाम से जमाबंदी का हैं एवं लगान रसीद वर्ष 2023–24 तक निर्गत हैं। बिकी वाली जमीन उसके हक हिस्से की हैं जिसे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

केता का कहना है कि उन्होने प्रस्तावित जमीन को देखा है। उक्त जमीन पर कोई विवाद नहीं हैं, तथा वर्तमान में आवेदक के शांति पूर्ण दखल कब्जे में हैं।

उभय पक्ष अपने पक्ष निम्नांकित कागजात / दस्तावेज प्रस्तुत करतें हैं:–

01. बिकेता– खतियान की छायाप्रति हैं, लगान रसीद का छायाप्रति, आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वंय के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

02. केता– आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वंय के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनो पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एंव अंचल अधिकारी चन्द्रपुरा से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि क्रेता एवं बिक्रेता जाति के कुर्मी (महतो) है। जो पिछड़ी जाति वर्ग के अतंर्गत आते हैं। क्रेता एवं बिक्रेता दोनों एक ही थानान्तर्गत एवं जिला अन्तर्गत के निवासी हैं। आवेदित भूमि बिकेता के हिस्से की जमीन है, जो खतियान एवं घरेलु बॅटवारा के आधार पर हासिल हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः **आवेदक–चुरामण महतो, पिता–स्व0 जानकी महतो, पता–ग्राम–फतेहपुर (कोरकोटा), पो0–नर्रा, थाना–चन्द्रपुरा, जिला–बोकारो** को निम्नांकित भूमिः–

मौजा	खाता न0	प्लॉट सं0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	द0 सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
फतेहपुर 93	**28**	**235**	**0. 66 ए0**	**0.16 ए0**	**टॉड़**	**बॉबी महतो**	**सुदन महतो वगै0**	**बीरू महतो**
			कुल	16 डी0 (सोलह डिसमिल जमीन मात्र)				

मो0 1,50,000/–(एक लाख पचास हजार) रूपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से **क्रेता–कुन्ती देवी, पति–स्व0 महेन्द्र महतो, पता–ग्राम–फतेहपुर, पो0–नर्रा, थाना–चन्द्रपुरा, जिला–बोकारो** के साथ बिकी करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती हैं। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एंव संशोधित।

14.8.2024

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

14.8.2024

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

Digitally signed by Mukesh Machhuwa
Date: 2026.01.10 16:23:38 +05:30
Location: 10.93.6.142